

2025
2025/795

प्राचीण सेवा शिबिर-2025 (फॉलोअप)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

उपवानी प्रकरण - रामवतार वनाग्न भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 418 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुगत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
27 / गू.अ. / 2025 दिनांक 29/12/2025 के द्वारा राजस्थान गू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम साइली पटवारी हल्का साइली
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में गू.अ. खाता संख्या 763 में खातेदार बन्ना राम
पुत्र अनिल लाल के स्थान पर बन्ना राम उर्फ बनवारी लाल पुत्र का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का साइली
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 2025

कमांक / रीडर / 2025 /

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का साइली तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।




(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



418
आदेश (शिविर स्थान) 30-12-25 दिनांक 2025/795

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का- 515/11 जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख
निरिक्षक वृत- 515/11 जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा संजयन टम्लवेज-
तधार-काई, पहचान-पत्र, पुरान-काई के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व
गाम- 515/11 के खाता संख्या- 763 में धारी का
नाम व-नरान पुत्र (अपूर्ण) जाति- गुर्जर के स्थान पर
हलवाई लाल गुर्जर पुत्र (अपूर्ण) लाल गुर्जर जाति- गुर्जर दर्ज कर दुरुस्त
किया जाता है।


उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला:- सीकर

क्रमांक:-

दिनांक:-

--:दुरुस्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

शिविर:- दिनांक:-/...../..... को (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 की धारा:- 136 के अन्तर्गत) राजस्व गाम:-..... पटवारी हल्का:-
.....तहसील:- श्रीमाधोपुर के खाता संख्या:-
.....में खातेदार पुत्र
..... का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का:-
.....उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ति कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

संलग्न:- दुरुस्ति आदेश
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को सूचनार्थ
2. भू-अभिलेख निरिक्षक वृत:-..... को पालनार्थ
3. पटवारी हल्का:-को पालनार्थ

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर